शोध मंथन Vol. XI No.II Apr.-June. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

जन जागृति में समाचार पत्रों की भूमिका (अलवर रियासत के विशेष सन्दर्भ में)

नीतू जेवरिया
सहायक आचार्य, इतिहास विभाग
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,अलवर (राज0)
Email: njs.7.1980@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में अलवर रियासत के जन जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अलवर पत्रिका, तेज प्रताप, वीर अर्जुन आदि समाचार पत्रों ने न केवल अलवर रियासत की जनता को ब्रिटिश भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफलता प्राप्त की वरन् उन्होने तत्कालीन समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का भी भरसक प्रयास किया व जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। तत्कालीन समाचार पत्रों ने महाराज जयसिंह के कार्यों, अलवर रियासत में हुए विभिन्न विद्रोहों व घटनाओं का बखूबी चित्रण किया।

मुख्य शब्द *:– अलवर रियासत, समाचार पत्र, ब्रिटिश सरकार, अलवर पत्रिका इत्यादि।*

प्रस्तावना

आधुनिक काल से पूर्व भारत में राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण विकसित नहीं थी। हालांकि अथर्ववेद का ''पृथ्वीसूक्त'' राष्ट्रीयता की भावना का घोषणा पत्र कहा जा सकता है, परंतु भारत में ब्रिटिशकाल में ही राष्ट्रीयता व स्वतंत्रता की भावना का पूर्ण विकास हुआ व भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही राष्ट्रीयता के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था।

संपूर्ण विश्व में अत्याचारों के विरूद्ध संघर्ष करने में पत्रकारों की विशिष्ट भूमिका रही है। समाचार संचार माध्यम ने अंग्रेजी शासन के अधीन शोषित, दलित व उत्साहहीन भारतवासियों में अपनी लेखनी के बल पर अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत की व उत्साह का संचार किया। चूँकि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी शासन एक दूसरे के विरूद्ध है और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अतः ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय प्रेस पर तरह–तरह के दबाव डालने की ब्रिटिश सरकार द्वारा कोशिश की गई। भारतीय राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए व अपने अधिकारों के प्रति लोगों को शिक्षित करने तथा राष्ट्रीय विचारधारा का प्रसार करने के लिए समाचार पत्र व पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण हथियार थे। इनके माध्यम से ही राष्ट्रवादी तत्वों को सतत प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलता रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद रखने में अखबारों और पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोगों में करीब 1/3 पत्रकार थे।

राष्ट्रवादी पत्रकारों की भूमिका के बारे में लार्ड डफरिन ने मार्च 1886 में लिखा ''इसमें कोई शक नहीं कि अखबार पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में यह बात घर करती जा रही है कि हम (अंग्रेज) सामान्यतः पूरी मानव जाति के और विशेषकर भारत के दुश्मन है।''

भारतीय समाचार पत्रो का विकास

भारतीय पत्रकारिता का जनक जेम्स आगस्टस हिक्की को कहा जाता है। उन्होंने भारत में 1780 ई0 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम 'बंगाल गजट' था। ब्रिटिश सरकार की गया[1] आलोचना करने पर उनका छापाखाना जब्त कर लिया गया।

पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ई. में कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 'बंगाल गजट' नाम से निकाला गया। 1821 ई. में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में ''संवाद कौमुदी'' तथा फारसी भाषा में 1822 ई. में ''मिरातुल अखबार'' प्रकाशित कर अपने प्रगतिशील विचारो का प्रसार किया।[2] ईश्वर चंद विद्यासागर ने बांग्ला में 'सोमप्रकाश', बंकिम चन्द चटर्जी ने 'बंगदर्शन' का संपादन करके राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया।

हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' माना जाता है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। इस पत्र के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक थे पं. जुगल किशोर शुक्ल। 1857 का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली पत्र था 'पयामे आजादी।[3] इसके संपादक बहादुर शाह जफर के पौत्र बेदार बख्त थे। भारत में अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध संघर्ष के क्षेत्र में जिन समाचार पत्रों का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है उनमें कलकत्ता का 'हिंदू पेट्रियट,' 'अमृत बाजार पत्रिका', 'भारत मित्र', हिंदोस्थान, तिलक के 'केसरी' व 'मराठा', दैनिक हिंदुस्तान, 'अभ्युदय', युगांतर, 'गदर, वंदेमातरम, गणेश शंकर विधार्थी का साप्ताहिक 'प्रताप', इंडियन सोशियोलोजिस्ट', गाँधीजी के 'सत्याग्रही, 'यंग इण्डिया' और 'नवजीवन' 'हरिजन', 'हरिजन बंधु' और 'हरिजन सेवक', बनारस का लोकप्रिय समाचार पत्र 'आज' आदि है।

प्रेस विरोधी उपबंध

भारतीय समाचार पत्रों से अंग्रेज बेहद आतंकित थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होनें समय–समय पर ऐसे वैधानिक उपबंध भारतीय समाचार पत्रों पर लगाये जिससे उनकी स्वतंत्रता पर आघात पहुँचता। जब लिटन की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ भारतीय अखबारों ने आग उगलना शुरू किया तो लिटन ने प्रतिक्रिया स्वरूप 1878 ई0 में 'वर्नाक्यूलर प्रेसएक्ट देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया[4] 1910 ई0 का प्रेस एक्ट व 1931 ई0 में लागू 'इण्डियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट' इसी तरह के अधिनियम थे जिन्होनें राजनैतिक आंदोलन व स्वतंत्र आलोचना पर प्रतिबंध लगा दिया।

राजपूताना में जनचेतना एवं पत्रकारिता

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के अखबारों में अंग्रेजी–शासन के शोषण उत्पीड़न व जनविरोधी नीतियों की आलोचना की जाती थी और ये अखबार एवं पत्र–पत्रिकाएँ देशी राज्यों में होने वाले दमन व उत्पीड़न की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। सन् 1885 में राजस्थान से एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसे हिंदी–उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था।

इसका नाम था – 'राजपूताना गजट'। इसके संपादक थे मौलवी मुदार अली 'बीमार'। यद्यपि पत्र ब्रिटिश भारत क्षेत्र अजमेर से निकलता था, परंतु रियासती अत्याचारों का भंडाफोड़ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इसके संपादक को जेल जाना पड़ा[5] राजस्थान के मुख्य समाचार पत्रों में बूँदी से प्रकाशित 'सर्वहित' व अजमेर से प्रकाशित 'राजस्थान समाचार' पत्रों का नाम लिया जा सकता है जिन्होनें जन–जागरण का कार्य किया। 'राजस्थान समाचार' ने निकलकर रजवाड़ों में हिंदी का प्रचार करने की चेष्टा की और वहाँ के लोगों में समाचार पढ़ने की रूचि बढ़ाई। इस पत्र ने राजाओं के प्रति ब्रिटिश शासन के व्यवहार का भंडाफोड़ किया और सन् 1896 में झालावाड़ के राजा जालिम सिंह के गद्दी से उतार दिये जाने पर उस समाचार को प्रमुखता से छापा।[6]

अलवर रियासत के जन–जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका

अलवर रियासत के जन जागरण में भी समाचार पत्रों ने अहम् भूमिका का संपादन किया। 1925 ई0 में अलवर रियासत में हुए नीमूचाणा कांड की खबर दूर–दूर तक राष्ट्रीय अखबारों में छपी। महात्मा गाँधी ने भी इस काण्ड की तीव्रतम शब्दों में निंदा की व इस काण्ड को जलियाँवाला बाग से भी वीभन्स बताया[7]। अब वह समय आ गया था जबकि देशी राज्यों के शासकों को भी यह अनुभव होने लगा था कि अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यो को प्रजा तक पहुँचाने के लिए कोई ऐसा अखबार निकले, जो यह कार्य आसानी से कर सके। इस उद्देश्य से 19 सितम्बर 1937 को अलवर से 'तेज प्रताप' नाम का अखबार निकाला गया[8] इस अखबार में तत्कालीन सरकार के पक्ष को व्यक्त किया जाता था। लेकिन अभी भी यहाँ एक ऐसे अखबार की जरूरत थी जो शासन की नहीं, जनता की भावनाओं और आशा–आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। 7 जनवरी 1944 को इसकी पूर्ति मोदी कुंज बिहारी लाल के अखबार 'अलवर' पत्रिका से हुई।[9]

'अलवर पत्रिका' अखबार तत्कालीन जनभावनाओं को प्रस्तुत करने वाला था। इसके संपादक मोदी कुंज बिहारी लाल स्वयं प्रजामण्डल के एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। इनके अतिरिक्त अलवर के जागरूक नागरिकों का सीधा संपर्क राष्ट्रीय प्रेस से था। प्रजामंडल एवं कांगेस के एक महत्वपूर्ण नेता, स्वाधीनता सेनानी मास्टर भोलानाथ जी, कानपुर के 'प्रताप', दिल्ली के 'वीर अर्जुन' और 'हिंदुस्तान', अजमेर की 'नवज्योति', बनारस के 'आज' आदि अखबारों के स्थानीय संवाददाता थे और इनमें अलवर में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन पर लेख आदि भी लिखा करते थे। इस तरह अलवर रियासत की प्रजा का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से संपर्क कायम हुआ था। अलवर रियासत के जन जागरण के उदय में समाचार पत्रों की भूमिका का मूल्यांकन विभिन्न समय की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है।

महाराजा जयसिंह का युग अलवर के पुनर्जागरण का युग कहा जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में अलवर में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई तथा तत्कालीन समाचार पत्रों ने उनके शासन–काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों व सुधारों को जनता के सामने भली भाँति प्रस्तुत किया जिससे जनता में चेतना का

संचार हुआ। 1908 में जयसिंह ने अध्यादेश जारी करके राष्ट्रभाषा हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया।[10] इस बात का उल्लेख जयसिंह के निधन के बाद 'तेज प्रताप' में ओजस्वी शब्दों में किया गया, ''स्वर्गीय महाराज देव को 1903 में शासनाधिकार मिला था और 1908 में ही देशी रियासतों में शायद सबसे पहले अपने राज्य की भाषा हिंदी मान ली थी''। उनके द्वारा जनहित कार्यो को 'वीर अर्जुन' समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से छापा गया।

महाराजा जयसिंह की राष्ट्रीय भावना उनके निर्वासन का कारण बनी। दिनांक 13.12. 1936 के 'अर्जुन' के रियासत अंक से पता चलता है कि उन्होने अपने भाषणों में स्पष्ट कर दिया था कि जल्दी भारत राष्ट्र स्वतंत्र होगा, उसका अपना संविधान होगा, अंग्रेजों को जल्दी भारत से जाना होगा। 1936 के 'नवज्योति' समाचार पत्रों ने लिखा था'' द्वितीय गोलमेज परिषद् में महाराज अलवर ने कहा था कि सांप्रदायिक समस्या की जड़ में हिंदू–मुस्लिम शक्तियों के अतिरिक्त एक बड़ी तीसरी शक्ति का हाथ है, जो उसे सुलझाने नहीं देती[12] इस प्रकार तत्कालीन समाचार पत्रो में हिंदु–मुस्लिमों में बढ़ती वैमनस्यता का दोषी ब्रिटिश सरकार को बनाया गया।

अलवर रियासत में हुए किसान आंदोलनों से संबंधित खबरों को भी तत्कालीन समाचार पत्रों ने जनता तक पहुँचाने का महती कार्य किया। 1925 में हुए नीमूचाणा काण्ड की 'तरूण राजस्थान', 'प्रताप' 'रियासत' जैसे समाचार पत्रों ने जमकर आलोचना की।

तत्कालीन समाचार पत्रों द्वारा अलवर रियासत मे सरकार के जनविरोधी कार्यों की तरफ जनता का ध्यान आकृष्ट किया गया। जब अलवर रियासत में सरकार ने जुलाई 1938 ई0 से शिक्षण शुल्क प्रारंभ कर दिया तो इस निर्णय की आलोचना करते हुए 16 जुलाई 1938 के अंक में समाचार पत्र 'हिदुंस्तान' ने लिखा कि ''अलवर राज्य में अब तक बिना फीस लिए तालीम दी जाती थी, क्योंकि अलवर राज्य मालगुजारी के साथ दो पैसे प्रति रूपये के हिसाब से एक कर स्कूलों के लिए भी लेते थे लेकिन हाल में अलवर राज्य ने यह फैसला किया है कि विधार्थियों से फीस ली जाये[13]।

विश्व में जब द्वितीय विश्वयुद्ध जोर पकड़ रहा था उस समय सभी रियासतों ने युद्ध के लिए चंदा वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। अलवर रियासत ने भी यह वसूली प्रारंभ कर दी थी। यहाँ तक कि देहातों की जनता से भी यह वसूली की जा रही थी। देहातों की जनता वैसे ही आर्थिक दृष्टि से दुखी थी, उस पर जबरदस्ती यह वसूली की जा रही थी[14] सरकार द्वारा जबरदस्ती वसूली हेतु की गई ज्यादती की खबरों को आगरा से प्रकाशित 'संदेश' समाचार पत्र में बखूबी छापा गया व सरकार की तीव्र आलोचना की गई। युद्ध के दौरान सरकार द्वारा कंट्रोल व्यवस्था प्रारंभ की गई ताकि जनता की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके[15] परंतु इस कंट्रोल प्रणाली में अव्यवस्था व घोटालों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। 'अलवर पत्रिका' द्वारा घोटाले की खबरों को प्रमुखता से छापा गया व जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया।

'अलवर पत्रिका' समाचार पत्र ने 2 अप्रैल 1946 को हुए राँता कला गोली काण्ड के आरोपियों पर हुए अत्याचारों के लिए सरकार की कटु आलोचना की तथा उसने प्रकाशित किया कि जब जयनारायण व्यास व खान अब्दुल गफ्फार खाँ अलवर में घायलों से मिलने गए तो

सरकार ने घायल व्यक्तियों के हाथों में भी हथकडियाँ डाल रखी थी[16]

देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 20 जुलाई 1946 को इलाहाबाद से समस्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के लिए एक पत्र जारी किया था जिसमें 9 अगस्त को उत्तरदायी दिवस मनाये जाने को कहा था।[17] अलवर रियासत में प्रजामंडल द्वारा यह दिवस मनाया गया तथा इस दिवस पर अनेक निजामतों में भी हड़ताल व सभाएँ की गई। 'अलवर पत्रिका' के अनुसार राजगढ़, तिजारा, खैरथल, हरसौली, रामगढ़, टपूकड़ा, मंडावर आदि अनेक स्थानों पर 9 अगस्त को उत्तरदायी शासन दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया।[18]

सरकार द्वारा 'अलवर पत्रिका' 'समाचार पत्र के प्रकाशक मोदी कुंज बिहारी लाल पर आरोप लगाया गया कि ''उनके समाचार पत्र में सरकार विरोधी लेख छपते है''[19], इसलिए सरकार ने ढ़ाई हजार जमानत जमा करने को कहा। इतनी बड़ी जमानत राशि मांग कर सरकार द्वारा अपनी बौखलाहट प्रदर्शित की गई व जनभावनाओं की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाकर अपनी निरंकुशता प्रकट की।

अलवर रियासत मे हुए सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं का वर्णन 'तेज प्रताप' समाचार पत्र ने समय–समय पर किया। उसने लिखा कि धासोली, माचा, नूर नगर, किशनगढ व तिजारा में मेवों के डर से हिंदू भाग गये।[20]

17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया जिसका उद्घाटन एन.बी. गाडगिल ने किया[21] इस खबर को 'तेज प्रताप' जैसे समाचार पत्रों में पूर्ण उत्साह के साथ छापा गया।

अध्ययन का उद्देश्य

विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों व लेखों के माध्यम से अलवर रियासत के जन जागरण में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका का विश्लेषण करना।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रियासत काल में अलवर में जनजागृति के प्रसार में अनेक समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलवर रियासत का न केवल शिक्षित वर्ग वरन् अशिक्षित निम्न वर्ग भी समाचार पत्रों के समाचार दूसरों से सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ के कृषक, छात्रों व महिलाओं का विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लेना यह प्रकट करता है कि तत्कालीन समाचार पत्रों के प्रकाशित लेखों व समाचारों ने उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला था। अलवर की प्रत्येक घटना को देशव्यापी बना कर संपूर्ण देश का ध्यान अलवर की ओर आकृष्ट करने में समाचार पत्रों का अमूल्य योगदान माना जा सकता है। अलवर रियासत को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने व यहाँ की जनता को स्वराज्य दिलाने में इन समाचार पत्रों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ

1. ग्रोवर, बी.एल. यशपाल, *आधुनिक भारत का इतिहास,* एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, पृ. **400**
2. द्विवेदी, आर.एस. *आधुनिक भारत,* विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. **295**।
3. पंत, एन.सी., *हिंदी पत्रकारिता का विकास,* राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ **.39**।
4. ग्रोवर, बी.एल. यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, पृ **403**।
5. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, *हिंदी पत्रकारिता का इतिहास,* प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ 84।
6. उपरोक्त, पृ **.88**
7. पानगड़िया, बी.एल., *राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम,* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ 36।
8. सैनी, हरिनारायण, तायल, जुगमंदिर, मानवी, डा. जीवन सिंह, *आजादी का आंदोलन और अलवर,* अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, अलवर, पृ 57।
9. वही, पृ **57**
10. कौल, राजकुमारी, *राजस्थान के राजधरानों की हिंदी सेवा,* अनुपम प्रकाशन, 1968
11. वीर अर्जुन, 28 अप्रेल 1934, न्यूज पेपर कटिंग फा., रा.रा. अभि., अलवर
12. नवज्योति, 1 नवम्बर 1936, फा.नं.11, न्यूज पेपर कटिंग, रा.रा. अभि., अलवर
13. हिंदुस्तान, दि.16 जुलाई 1938 ई., श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)
14. गुप्ता, शोभालाल, गाँधीजी और राजस्थान, राजस्थान राज्य गाँधी स्मारक निधि, भीलवाड़ा, गाँधी जन्म शताब्दी, 1969, पृ. **276।**
15. अलवर पत्रिका, 2 अप्रेल 1945
16. अलवर पत्रिका, 20 अप्रैल 1946
17. अलवर पत्रिका, दिनांक 23 फरवरी, 1946
18. अलवर पत्रिका, 17 जुलाई 1946
19. अलवर पत्रिका, 17 अगस्त 1946
20. तेज प्रताप, 3 जून 1947
21. तेज प्रताप, 18 मार्च 1948